

306/2000-01

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अंडारीटह

शाखा के अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ श्री काली सिंह

पिता मानिक सिंह

ग्राम राजा पेटा

पोस्ट चन्द्रपुरा थाना चन्द्रपुरा

जिला - बोकारो के विरुद्ध मो०

4911200

रुपये को अधियाचना पत्र देकर प्रमाण-पत्र मुकदमा दायर किया है,

जिसका आलोचना किया है।

अधियाचना पत्र के साथ आवश्यक कोर्ट फी लेखा - विवरणी एवं पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत बसूली हेतु

एकरारनामा सह कोर्ट फी

480.00

रुपये का दाखिल किया गया है। अतः देनदार के विरुद्ध

उक्त कानून की धारा (7) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करें।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

/ नजारात के माध्यम से नोटिस तामिल करावें।

अभिलेखा दिनांक

को मेरे समक्ष प्रस्तुत करें।

लेखापति

11/10/98

निलाम पत्र पदा०, बेरमो

11/10/98

निलाम पत्र पदा०, बेरमो

उपस्थित न्यायाधीश के आदेश 280/स्युप. दिनांक 8/5/2000 के
अनुसार अधिवक्ता को नोटिस देकर न्यायाधीश के

अभिलेख उपस्थापित।

देनदार को लोकसांग अधिनियम के धारा 7 के
अन्तर्गत सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक
को निलाम प्रालेखन संस्था में उपस्थापित करें

19/11/2000
निदेश पुरा

सि० प्र० पुरा

8/3/12

वैध अधिकार के ओर वे छुट्टि किया गया है कि
देनदार का बैंक लेखा close कर दिया गया है।

देनदार से डाप तलबाना राशि हेतु
30 (तीस) रुपये का कोर्ट फीस स्वयं दाखिल
किया गया है।

इस स्वयं को अधिलान्यता पर धरे
दे। तदनुसार बाद की कार्रवाई अन्त की जारी
रखी है।

दि. 8.03.12
श्री. नीलम पट्टनायक
चतुर्थ